दैनिक
न्याय साक्षी

खबरें खास

रायगढ़, गुरुवार 24 अप्रैल 2025
www.nyaysakshi.com

पुलिस का विशेष अभियान

रायगढ़ में पहचान छिपाकर रह रहे 37 व्यक्तियों की हुई गिरफ्तारी

रायगढ़

जिले में बाहर से आकर पहचान छिपाकर रह रहे संदिग्ध व्यक्तियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देश पर जिलेभर में विशेष मुसाफिर जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत पूंजीपथरा और कोतवाली थाना क्षेत्र में 37 व्यक्तियों की पहचान जांचकर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

अक्सर दूसरे जिलों में अपराध कर अपराधी तत्व रायगढ़ जैसे शांत क्षेत्रों में छिपकर रहते हैं और यहां भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इसे देखते हुए पुलिस समय-समय पर इनकी छानबीन करती है। बुधवार को थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक राकेश मिश्रा के नेतृत्व में अलग-अलग क्षेत्रों में रह रहे 19 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पुलिस कंट्रोल रूम लाया गया। उनके आधार कार्ड व अन्य पहचान पत्रों के साथ फिंगरप्रिंट भारत सरकार के नेफिस और नेटग्रिड सॉफ्टवेयर में अपलोड किए गए, जिससे उनके आपराधिक रिकार्ड की जांच हो सके।

इस दौरान यह तथ्य सामने आया कि सभी 19 व्यक्ति रायगढ़ में लंबे समय से पहचान छिपाकर रह रहे थे। इस पर पुलिस ने सभी पर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए धारा 128 BNSS तथा पृथक से धारा 170/126, 135(3) BNSS के तहत गिरफ्तार कर एसडीएम न्यायालय में पेश किया।

इसी तरह थाना कोतवाली अंतर्गत थाना प्रभारी सुखनंदन पटेल के नेतृत्व में विभिन्न इलाकों में रह रहे 18 ऐसे व्यक्तियों को थाने तलब किया गया जिन्होंने पूर्व में मुसाफिरी दर्ज नहीं कराई थी। जांच में पहचान छिपाकर रहना प्रमाणित होने पर इन्हें भी समान धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया में प्रस्तुत किया गया।

कोतवाली और पूंजीपथरा थाने की कार्रवाई में पकड़े गए व्यक्तियों में अधिकांश पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा जिले के रहने वाले हैं, जो रायगढ़ के चक्रधरनगर, पूंजीपथरा, गेरवानी, उर्दना व भैंसाकोठा जैसे इलाकों में अलग-अलग किराये के मकानों में रह रहे थे।

रायगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के विशेष जांच अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे ताकि जिले में बाहरी आपराधिक तत्वों की घुसपैठ को रोका जा सके। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी बाहरी व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध लगें तो तत्काल निकटतम थाना को सूचित करें।

पूंजीपथरा पुलिस की कार्रवाई-

1. नरुल इस्लाम पिता इसरफुल शेख उम 39 वर्ष ग्राम गाबगाझी पोस्ट रघुनाथपुर थाना सुती जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल हाल मुकाम भैंसाकोठा किराया मकान चक्रधरनगर रायगढ़

2. नुईमुल हक पिता शेख इजाबुल उम 50 वर्ष ग्राम पोस्ट रघुनाथपुर थाना सुती जिला मुर्शिदाबाद द पश्चिम बंगाल हाल मुकाम गेरवानी स्टार ढाबा पूंजीपथरा रायगढ़

3. मोह० इशा पिता आबु समा शेख उम्र 31 वर्ष ग्राम डिही ग्राम पोस्ट दफाहट थाना सुती जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल हाल मुकाम गेरवानी स्टार ढाबा पूंजीपथरा रायगढ़

4. नरजिम शेख पिता खैरुल हक उम 24 वर्ष ग्राम पोस्ट महादेव नगर थाना फडक्का जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल हाल मुकाम गेरवानी स्टार ढाबा पूंजीपथरा रायगढ़

5. धनजोय दास पिता सकन दास उम वर्ष 37 ग्राम पोस्ट बलिया थाना सागोरदेही जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल हाल मुकाम उर्दना वेलकम ढाबा रायगढ़

6. कालू हुसैन पिता मुशारिफ शेख उम 35 वर्ष ग्राम डांगापारा पोस्ट पटकेन पारा थाना सागरडेगी जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल हाल मुकाम बिन्नी ढाबा पूंजीपथरा

7. अनेरुल शेख पिता हुसैन मोहम्मद उम 46 वर्ष ग्राम हंकरहाट पोस्ट गौरीपुर थाना सागुरदिही जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल बिन्नी दाबा पूंजीपथरा

8. कबीरूल शेख पिता शेनारुल हक उम्र 22 वर्ष ग्राम मदना पोस्ट रघुनाथपुर थाना सुती जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल हाल मुकाम भैंसाकोठा किराया मकान चक्रधरनगर रायगढ़

9. खायर शेख पिता सैमसुल शेख उम्र 43 वर्ष याम छाबगाछी पोस्ट रघुनाथपुर थाना सुती जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल हाल मुकाम भैंसाकोठा किराया मकान चक्रधरनगर रायगढ़

10. शाहिन आलम पिता इस्माइल शेख उम 22 वर्ष ग्राम खानपुर पोस्ट छाबघाटी थाना सुती 2 जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल हाल मुकाम भैंसाकोठा भैंसाकोठा किराया मकान चक्रधरनगर रायगढ़

11. जनीरूल शेख पिता राशिद अली उम्र 36 वर्ष ग्राम मदना पोस्ट रघुनाथपुर थाना सुती जीना मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल हाल मुकाम भैंसाकोठा किराया मकान चक्रधरनगर रायगढ़

12. दालू शेख पिता तोफाजुल शेख उम 44 वर्ष ग्राम गाबगाझी पोस्ट रघुनाथपुर थाना सुती जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल हाल मुकाम भैंसाकोठा किराया मकान चक्रधरनगर रायगढ़

13. मशुद शेख पिता शेख जामिरुल इस्लाम उम 24 वर्ष ग्राम खानपुर पोस्ट छाबघाटी थाना सुती जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल हाल मुकाम भैंसाकोठा अब्दुल सत्तार उर्फ चुन्ना के किराये के मकान रायगढ़

14. कालू शेख पिता रैजूल शेख उम्र 36 वर्ष ग्राम पोस्ट रघुनाथपुर थाना सुती जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल हाल मुकाम भैंसाकोठा किराया मकान चक्रधरनगर रायगढ़

15. महबूब शेख पिता जारजिस शेख उम 25 वर्ष ग्राम पोस्ट अराजी रमाकांतपुर थाना सुती जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल हाल मुकाम भैंसाकोठा किराया मकान चक्रधरनगर रायगढ़

16. समीरूल शेख पिता मुन्जूर अली उम्र - 48 वर्ष निवासी शीतेश नगर थाना लालगोला जिला मुर्शिदाबाद (WB) हा० मु० उर्दना रायगढ़

17. कलीमुद्दीन शेख पिता अनेश शेख उम्र 60 वर्ष निवासी मयनदगा थाना सगौरडीगही जिला मुर्शिदाबाद (WB) हा० मु० उर्दना रायगढ़

18. हबीबर रहमान पिता अलाउद्दीन शेख उम्र 42 वर्ष निवासी बलिया थाना सगौरडीगढ़ी मिला मुर्शिदाबाद (WB) हा० मु० उर्दना रायगढ़

19. सफीकुल शेख पिता आमीर शेख उम्र 30 वर्ष निवासी बलिया थाना सगौरडीगही जिला मुर्शिदाबाद (WB) हा० मु० उर्दना रायगढ़

कोतवाली पुलिस की कार्रवाई-

01. दाउद अली पिता अमजद अली उम्र 34 साल सा0 खेड़िया पोस्ट पुखुरिया जिला माल्दा वेस्ट बंगाल

02. जांहगीर पिता नफौर अहमद उम्र 27 साल सा0 रघुनाथपुर थाना पुखुरिया जिला माल्दा वेस्ट बंगाल

03. हसनुज्जमन पिता मैनुल हक उम्र 29 साल सा0 खेड़िया पोस्ट कतलामारी जिला माल्दा वेस्ट बंगाल

04. नसीरूद्दीन पिता सफीकुल आलम उम्र 30 साल सा0 हरिपुर जिला माल्दा वेस्ट बंगाल

05. रकीब हुसैन पिता रेजाउल हक उम्र 22 सा0 खेड़िया पोस्ट पुखुरिया जिला माल्दा वेस्ट बंगाल

06. तोहिद आलम पिता रेजाउल हक सा0 खेड़िया पोस्ट कतलामारी जिला माल्दा वेस्ट बंगाल

07. साहबुद्दीन पिता इलियास उम्र 22 सा0 सा0 खेड़िया पोस्ट कतलामारी जिला माल्दा वेस्ट बंगाल

08. सोहेल तनबीर पिता इलियास उम्र 36 साल सा0 हरिपुर पोस्ट हरिपुर जिला माल्दा वेस्ट बंगाल

09. रहमत अली पिता अलताब हुसैन उम्र 25 साल0 भगबनपुर थाना रतवा जिला माल्दा वेस्ट बंगाल

10. तारिक अनवर पिता इलियास अली उम्र 20 साल सा0 खेड़िया पोस्ट कतलामारी जिला माल्दा वेस्ट बंगाल

11. नसरूद्दीन पिता जुल्लू रहमन उम्र 46 सा0 रघुनाथपुर थाना पुखुरिया जिला माल्दा वेस्ट बंगाल

12. अतिजुर रहमन नुरूल इस्लाम उम्र 24 सा0 समसी पोस्ट समसी थाना रोतवा जिला माल्दा वेस्ट बंगाल

13. फारूक अब्दुला पिता सैफउद्दीन उम्र 23 साल सा0 खेड़िया थाना पुखुरिया जिला माल्दा वेस्ट बंगाल

14. इंजामुल हक पिता अबुजर उम्र 20 साल सा0 खेड़िया थाना कतलामारी जिला माल्दा वेस्ट बंगाल

15. अलंगीर पिता नेफाउर रहमन उम्र 27 साल सा0 रघुनाथपुर थाना पुखुरिया जिला माल्दा वेस्ट बंगाल

16. अलियुल पिता अतौर रहमन उम्र 32 साल सा0 खेड़िया थाना पुखुरिया जिला माल्दा वेस्ट बंगाल

17. सदीकुल इस्लाम पिता असरैल उम्र 36 साल सा0 रघुनाथपुर थाना पुखुरिया जिला माल्दा वेस्ट बंगाल

18. कुश कुमार पिता संतराम कष्यप उम्र 25 साल सा0 भाठापारा नैला वार्ड नंबर 01 जिला जांजगीर चांपा

महत्वपूर्ण एवं खास

रेडी टू ईट एवं फोर्टिफाईड आटा निर्माण व आपूर्ति के लिए 29 अप्रैल तक मंगाए गए आवेदन

रायगढ़। जिले के बाल विकास परियोजना/परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट एवं फोर्टिफाईड आटा का निर्माण एवं आपूर्ति करने के लिए फर्म एवं सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत सक्षम महिला स्व-सहायता समूहों से आवेदन मंगाए गए है। इच्छुक महिला स्व-सहायता समूह अपना आवेदन 29 अप्रैल 2025 तक कार्यालयीन समय में डाक/कोरियर के माध्यम से कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, रायगढ़ में भेज सकते है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास एल.आर.कच्छप ने बताया कि इच्छुक महिला स्व-सहायता समूह इससे संबंधित शर्तें व विस्तृत विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास/बाल विकास परियोजना समस्त जिला रायगढ़ के कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते है अथवा रायगढ़ जिले की वेबसाईड में https://raigarh.gov.in अवलोकन कर सकते है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

श्रम विभाग अंतर्गत ईपीएफ संबंधी आवेदनों के निराकरण हेतु शिविर 28 अप्रैल को

रायगढ़। सुशासन तिहार 2025 में प्राप्त ईपीएफ संबंधी आवेदनों के निराकरण हेतु सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, श्रम विभाग रायगढ़ में 28 अप्रैल 2025 को प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक भविष्य निधि कार्यालय बिलासपुर से अधिकारी-कर्मचारी द्वारा शिविर का आयोजन किया गया है। उक्त दिवस को ईपीएफ से संबंधित शिकायत/समस्याओं हेतु श्रमिक/आवेदक शिविर में उपस्थित होकर अपने ईपीएफ संबंधी आवेदनों के शिकायत/समस्याओं का निवारण कर सकते है।

चाईल्ड हेल्प लाईन के रिक्त पदों पर 25 अप्रैल तक मंगाए गए दावा-आपत्ति

रायगढ़। महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत चाईल्ड हेल्प लाईन (1098) के तहत रिक्त संविदा 8 पदों की भर्ती हेतु प्रारंभिक सूची रायगढ़ जिले के वेबसाईट www.raigarh.gov.in तथा कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल में चस्पा किया गया है। उक्त सूची के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति हो तो वे 25 अप्रैल 2025 तक कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।

बाइक चोरी के अंतरजिला गिरोह का एक और आरोपी गिरफ्तार, चार बाइकें जब्त

रायगढ़

शहर में सक्रिय बाइक चोर गिरोह के एक और सदस्य की गिरफ्तारी से पुलिस ने चार और चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। साइबर सेल और चक्रधरनगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पकड़े गए आरोपी दीपक बरेठ से चोरी की ये बाइकें एफसीआई गोदाम परिसर, काशीराम चौक से जब्त की गईं, जिनकी कुल कीमत लगभग ढाई लाख रुपये है। यह गिरोह रायगढ़ समेत कई जिलों में सक्रिय था और अब तक कुल 20 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देश पर चल रही इस विशेष अभियान में 4 अप्रैल को ही पुलिस ने गिरोह के चार सदस्यों—अजय कुमार कोसले, विष्णु कोसले, मनोज देवांगन और हृदय देवांगन को गिरफ्तार कर 16 बाइकें बरामद की थीं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया था कि वे शहर के पुसौर, खरसिया, जूटमिल, कोतवाली और चक्रधरनगर थाना क्षेत्रों से

बाइक चोरी कर उन्हें सारंगढ़ और महासमुंद के खरीदारों को 10 से 12 हजार रुपये में बेचते थे।

इसी गिरोह से जुड़े दीपक बरेठ का नाम भी आरोपियों के कबूलनामे में सामने आया था, जो तब फरार था। 21 अप्रैल को मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने उसे कबीर चौक क्षेत्र से दबोचा। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह अजय और विष्णु के साथ बाइक चोरी करता था और चोरी की 4 बाइकें अब तक न बेच पाने के कारण एफसीआई गोदाम परिसर में छिपाकर रखी थीं। आरोपी का पुलिस रिमांड लेकर पुलिस ने विवेचना, बरामदगी कार्यवाही की। बरामद बाइकों में हीरो एचएफ डिलक्स, सीडी 100 एसएस, होंडा साइन जैसी गाड़ियां शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 2,50,000 रुपये है।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि यह गिरोह संगठित रूप से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। इसी आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 112(2) संगठित अपराध, 317(2) और 317(4) चोरी संपत्ति की खरीदी-बिक्री के तहत कार्रवाई की गई है।

आरोपी दीपक बरेठ पिता कंगालू बरेठ 32 साल कबीर चौक थाना जूटमिल रायगढ़, जो पूर्व में दुष्कर्म के मामले में लंबे समय तक जेल काट चुका है और जुआ एक्ट में भी कई बार पकड़ा जा चुका है, को थाना चक्रधरनगर के अपराध क्रमांक 61/2025 में न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

डीएसपी अनिल विश्वकर्मा के मार्गदर्शन में इस कार्रवाई को थाना प्रभारी अमित शुक्ला, सहायक उप निरीक्षक नंदकुमार सारथी, श्याम देव साहू, साइबर सेल के राजेश पटेल, प्रशांत पंडा, महेश पंडा, पुष्पेंद्र जटवार, विकास प्रधान, विक्रम सिंह, सुरेश सिदार, प्रताप बेहरा और रविंद्र गुप्ता की सक्रिय टीम ने अंजाम दिया।

बरामद बाइक

(1) हीरो एचएफ डिलक्स मोटर सायकल जिसका चेचिस नंबर MBLHAR056H4M07227

(2) सीडी 100 एसएस मो० सा० चेचिस नंबर 01C14104203 इंजन नंबर 01C13E06795

(3) होण्डा साइन मो० सा० जिसका चेचिस नंबर ME4JC65CHKG029820

(4) हीरो एचएफ डिलक्स मोटर सायकल जिसका चेचिस नंबर MBLHAW024KGC09839 तथा इंजन नंबर HA11ENKGC09617

कुल जुमला 2,50,000 /-

ग्रीष्मकाल में लू-तापघात से बचाव एवं नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में ग्रीष्मकाल में लू-तापघात से बचाव एवं नियंत्रण हेतु जिला कार्यालय रायगढ़ के कक्ष क्रमांक 19 में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जिसका फोन नंबर 07762-223750 है। साथ ही डिप्टी कलेक्टर रेखा चन्द्रा को नोडल अधिकारी एवं नगरीय निकाय एवं सर्व जनपद/ तहसील क्षेत्र हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए है। नियंत्रण कक्ष में आम नागरिकों से प्राप्त होने वाले शिकायत को पंजी में दर्ज करने, आपदा की स्थिति में तत्काल सूचना प्रसारित करने तथा अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश/निर्देश का पालन किए जाने हेतु 24 घंटा फोन अटैण्ड करने के लिए आगामी आदेश पर्यन्त नगर सैनिकों की ड्यूटी लगाई गई है। जिसमें प्रात: 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक नगर सैनिक क्रमांक 202 गजेन्द्र सिंह मोबा.नं.93299-55828 की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक महेश साहू नगर सैनिक क्रमांक 42 मोबा.नं.90398-65526 तथा रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक हरिशंकर चौहान नगर सैनिक क्रमांक 125 मोबा.नं.95757-04296 की ड्यूटी लगाई गई है।

गर्ल्स स्कूल में इंटर्नशिप प्रमाण पत्र का हुआ वितरण

रायगढ़

शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायगढ़ में आज व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत सूचना प्रोद्योगिकी ट्रेड के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए हर साल इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षा में भाग ले रहे विद्यार्थियों को 10 दिवस व्यावसायिक ट्रेड से संबंधित किसी भी संस्थान में अपना इंटर्नशिप कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होता है जिससे विद्यार्थी अपने ट्रेड से संबंधित प्रायोगिक ज्ञान को एवं मार्केट में उपस्थित सभी जॉब प्रोफाइल को भली-भांति समझ सके। विद्यालय में अध्यनरत कक्षा ग्यारहवीं एवं बारहवी आईटी ट्रेड में क्रमश: 40 एवं 26 कुल 66 विद्यार्थियों ने 13 से 24 फरवरी 2025 के मध्य नाइस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर संस्थान रायगढ़ से अपना इंटर्नशिप पूर्ण कार्य पूर्ण किया। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को कंप्यूटर विषय में रोजगार से संबंधित वेब टेक्नोलॉजी कोडिंग एवं बेसिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण समापन के बाद संस्था प्रमुख नारायण भोई के द्वारा विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किये गया। शाला में सर्टिफिकेट्स वितरण समारोह के दौरान संस्था प्रमुख प्राचार्य विजय कुमार तिर्की सहित संस्था के सभी शिक्षकगण तथा आईटी व्यावसायिक प्रशिक्षिका भारती दास उपस्थित थी।

जूटमिल पुलिस ने चार मवेशी तस्करों से नौ मवेशी कराए मुक्त

रायगढ़

जूटमिल थाना क्षेत्र में सक्रिय मवेशी तस्करों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो नौ कृषिधन मवेशियों को क्रूरता से मारते-पीटते बूचड़खाने की ओर ले जा रहे थे। गौ सेवा समिति के प्रमुख पदाधिकारी बृजेश यादव एवं अन्य सदस्यों द्वारा पुलिस को दी गई सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में मवेशियों को मुक्त कराकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है।

घटना 22 अप्रैल की सुबह की है, जब छातामुड़ा चौक पर चार व्यक्ति चंद्रपुर की ओर से रायगढ़ शहर की दिशा में मवेशियों को पैदल हांकते हुए ले जा रहे थे। गौ सेवा समिति के

सदस्यों ने देखा कि मवेशियों के साथ क्रूरता की जा रही है और लाठियों से पीट-पीटकर उन्हें जबरदस्ती खींचा जा रहा है। इसकी जानकारी तुरंत जूटमिल थाना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को घेराबंदी कर रोका।

पूछताछ के दौरान जब मवेशी परिवहन संबंधी दस्तावेज मांगे गए, तो चारों आरोपियों के पास कोई वैध कागजात नहीं पाए गए। इस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ अपराध क्रमांक 140/2025 के तहत छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस ने जप्त मवेशियों की पशु चिकित्सक से जांच कराई और उनके चारे-पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की। वहीं आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया गया है। इस संयुक्त कार्रवाई में पुलिस के साथ गौ सेवा समिति के सदस्यों की तत्परता और सक्रियता ने बड़ी भूमिका निभाई, जिससे एक संभावित अवैध मवेशी वध की साजिश को विफल कर दिया गया।

पशुक्रूरता मामले के आरोपी -

1. बाबूलाल सिदार पिता श्रीभय सिदार उम्र 50 वर्ष साकिन आमगांव थाना तमनार रायगढ

2. बैजनाथ राठिया पिता रतिराम राठिया उम्र 55 वर्ष साकिन टांगरघाट तिलाईपाली थाना तमनार रायगढ

3. विरेन्द्र सिदार पिता शिव शंकर सिदार उम्र 22 वर्ष साकिन बीजना थाना तमनार रायगढ

4. इन्द्रजीत सिदार पिता प्रेम सिदार उम्र 25 वर्ष साकिन बीजना थाना तमनार रायगढ़

सुशासन तिहार में कचरा बाई के आवेदन का हुआ शीघ्र निराकरण, गर्मी में नहीं होगी अब पेयजल की समस्या

डिंपल का बना यूडीआईडी कार्ड, मिलेगा विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ

रायगढ़

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप रायगढ़ जिले में सुशासन तिहार के माध्यम से शासन की जनहितैषी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। तीन चरणों में संपन्न होने वाले सुशासन तिहार के दूसरे चरण में विभागों में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के साथ त्वरित निराकरण किया जा रहा है।

विकासखंड खरसिया के ग्राम गुरदा निवासी कचरा बाई सारथी ने सुशासन तिहार में अपने मोहल्ले के खराब हो चुके हैण्डपंप के सुधार के लिए आवेदन किया था। जिसका लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग द्वारा त्वरित निराकरण करते हुए हैण्ड पंप का मरम्मत किया गया। कचरा बाई सारथी ने बताया कि इस हैण्डपंप से 10 से 15 परिवार पेयजल का उपयोग करते है, लेकिन हैण्डपंप में खराब होने के कारण दूर से पानी लाना पड़ता था, जिससे मोहल्लेवासियों को काफी दिक्कतें हो रही थी। लेकिन सुशासन तिहार में आवेदन के पश्चात पेयजल की समस्या को दूर किया गया। उन्होंने सुशासन तिहार के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा है कि अब गर्मी में पेयजल की समस्या नहीं होगी। इसी तरह जनपद पंचायत पुसौर के ग्राम पंचायत लोहाखान निवासी निवासी सुदर्शन प्रधान ने अपनी मानसिक रूप से दिव्यांग बिटिया के यूडीआईडी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया था। प्रधान के आवेदन का समाज कल्याण विभाग ने शीघ्र निराकरण करते हुए 12 वर्षीय डिंपल प्रधान का यूडीआईडी कार्ड बनाकर प्रदान किया। डिंपल के पिताजी सुदर्शन प्रधान मूलत: किसान है, उनके दो बच्चे में से डिंपल छोटी है डिंपल को यूडीआईडी कार्ड जारी करने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि सुशासन तिहार लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए एक अच्छी पहल है। डिंपल का यूडीआईडी कार्ड जारी होने से खाद्य, दिव्यांग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विशेष विद्यालय, सहायक उपकरण जैसी विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ अब मिल पाएगा।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार से आमजन के लिए संवाद से समाधान की पहल की है। सुशासन तिहार के दूसरे चरण में लोगों से मिले आवेदनों का तेजी से निराकरण किया जा रहा है। सुशासन तिहार-2025 एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य शासन प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसहभागिता को प्रोत्साहित करना है। यह त्योहार न केवल सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास की मजबूत नींव भी रखता है। डिजिटल तकनीकों के माध्यम से सेवा वितरण को सरल, त्वरित और प्रभावशाली बनाना है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480